18.03.2026

बरहट थाना काण्ड संख्या 69/2025 से जनित है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 190, 324(4), 329(4), 303, 305, 126(2), 115(2), 351(2), 352 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(i)(r)(s) से संबंधित है, के अभियुक्तगण 1. **मनीष भारती** उम्र लगभग 28 वर्ष, एवं 2. **प्रिंस भारती** उम्र लगभग 24 वर्ष, दोनों पिता–शंकर भारती, दोनों निवासी ग्राम कोल्हाना केबल, थाना–मलयपुर, जिला–जमुई की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत यह आवेदन इस काण्ड में गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर अग्रिम जमानत प्राप्ति हेतु दाखिल किया गया है।

काण्ड के सूचिका ललनी देवी उर्फ रूकवा देवी के द्वारा बरहट थाना को दिये गये लिखित आवेदन, के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक 16.05.2025 को उसे पता चला कि उसकी पोती के पति मुन्ना दास की हत्या हो गयी। इस हत्या के अपराध के लिये पुलिस उसके पोता राजू कुमार दास के घर आयी और उसकी पोती और पुतोह को पूछताछ के लिये गाड़ी पर बैठाकर ले गई। रात्रि को वह अपने पोता राजू कुमार के घर पर रही तभी लगभग 9.00 बजे रात्रि को लगभग 40–50 की संख्या में दिनेश दास, उर्मिला देवी, रंजू देवी, हीरादास, रिमझिम दास, बिजली कुमारी, जगदेव दास, सुगदेव दास, पूजा देवी, रीना देवी, रूबी देवी, उषा देवी, सरयुग दास, **प्रिंस भारती, मनीष भारती,** ज्योति देवी, पप्पु दास, सुरेश दास, मनीष यादव, प्रिंस यादव, राहुल यादव, राज यादव, विकास कुमार, पिन्टु कुमार, विकास कुमार, गुलशन कुमार, लालू कुमार, शंकर कुमार, मनीष कुमार, शिवन यादव एवं अन्य 15–20 अज्ञात व्यक्ति सभी मिलकर उसके घर पर आये और दरवाजा–खिड़की तोड़ने लगे। ढेला–पत्थर चला, ताला तोड़कर सभी लोग घर में घुस गये और कुछ लोग उसको मारना चाहा, उसी में कुछ बोले कि बुढ़ी को कुछ मत करो। सभी लोग घर में रखे उसकी बहु एवं पोते की पत्नी एवं पोती का सोने का जेवर जैसे झूमका–4 पीस, चेन–2, मंगटीका–3, मंगलसूत्र–3, सोने की चुड़ी–6, चांदी पायल–दो जोड़ा (कुल जेवर की कीमत 15 लाख रूपया), 3 लाख रूपया नगद एवं सभी प्रकार के कागजात का लूटपाट कर लिया एवं घर में रखे फर्नीचर जैसे कुर्सी–8, टेबल–2, ड्रेसिंग–2, अलमीरा–2, लेइडी0 टी0वी0 2, कुलर, गैस चुल्हा, खिड़की–10, फ्रिज को तोड़कर बर्बाद कर दिया एवं दो जानवर खस्सी चोरी कर लिया एवं साथ में आए अन्य दूसरे जाति के यादव बगैरह चमार–चमैन जाति का नाम लेते हुये गाली दे रहे थे। वे लोग उसका पोता, पुतोह एवं पोती को खोज रहे थे। बोल रहे थे कि साला, चमार, चमैन बाहर निकलेगा तो जान से मार देगें और महिला निकली तो बलात्कार करके योनी में डंडा देकर खड़ा कर देगें। लगभग आधा घण्टा तक उत्पात मचाते रहे, अंत में उसको लात से मारते हुये बोला कि उसकी पोती बिंदु का शरीर का गर्मी रंड़ी, भोसड़ी को कोठे पर भेजकर ठंडा कर देगें और बिंदु को खोजते रहना जिंदगी भर। कहा कि सबको मार देगें।

जमानत आवेदन में साररूप से कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत आवेदन ना ही सत्र न्यायालय में और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन में स्वीकार किया गया है कि आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध मलयपुर थाना कांड सं0–31/2023 एवं 3/2024 लंबित है। जमानत आवेदन में आगे कथन किया है कि आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष हैं तथा उन्होंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्तगण को ग्रामीण राजनीति के कारण झूठा मामला में फंसाया गया है। घटना तिथि को कथित घटना के सयम अभियुक्तगण घटनास्थल पर नहीं थे।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में उल्लिखित आधार पर आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का घोर विरोध किया।

मैनें अभिलेख सहित काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। कांड दैनिकी के पैरा 7 एवं 17 में साक्षी किशुन दास एवं तितु रविदास का बयान दर्ज है। इन दोनों साक्षियों ने अपने अपने बयान में साररूप से कथन किया है कि ललनी देवी (कांड की सूचिका) चिल्ला रही थी कि उनके घर में लूटपाट एवं तोड़ फोड़ हुआ, जाकर देखा तो सीसा टूटा हुआ था। अलमीरा खुला हुआ था और समान बिखरा हुआ था। पैरा–25 में सूचिका ललनी देवी का पुनः बयान दर्ज है। अपने पुनः बयान में उसने कथन किया है कि 50–60 व्यक्ति उसके घर आये। वे लोग उसके घर में घुसकर लूटपाट एवं तोड़ फोड़ किये। जमानत आवेदन में ही स्वीकृत है कि आवेदक अभियुक्त का अपराधिक इतिहास है। अतः मेरे विचार से अग्रिम जमानत प्रदान करना न्यायोचित नहीं है। अतः अग्रिम जमानत का यह आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
जमुई।

प्रतिः– विद्वान न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं जनजाति, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
जमुई।

Vdoc